'जल संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान'

बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की, अभियान को जन-जन का अभियान बनाने का किया आव्हान

जयपुर, । राज्य सरकार भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगादशमी के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान चलाने का ऐतिहासिक एवं भागीरथी फैसला लिया है। अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार जल संरक्षण की दिशा में यह अभियान निर्णायक एवं क्रांतिकारी साबित होगा। यह कहना है जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का।

प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू हुए जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल।

जोगाराम पटेल ने यह बात बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को हमारी परम्परा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जलाशयों पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्त्रोतों की साफ-सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरूद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी।

उन्होंने कहा कि जन-जन की भागीदारी से ही अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकेगा। अभियान जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को जल स्वावलम्बी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इससे व्यापक जन को जोड़ने की आवश्यकता है। यह अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभियान के तहत जयपुर के विभिन्न जिलों में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप भामाशाहों, उद्यिमयों, प्रवासियों एवं खनन से जुड़े व्यक्तियों के सहयोग से कार्य कराए जाएंगे। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से वृक्षारोपण करते हुए जिले के समस्त जल स्त्रोतों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त जल स्त्रोतों की आवश्यक मरम्मत करवाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जल स्त्रोतों पर अतिक्रमण नहीं हो। अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए जन प्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, राजीविका से जुड़ी महिलाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जल संरक्षण की अपील करवाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

इस दौरान प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित रास्ता खोलो अभियान, सक्षम जयपुर अभियान, नशा मुक्त जयपुर अभियान लाडेसर अभियान के तहत जयपुर जिले में हुई कार्यों की प्रगति से रूबरू करवाया। साथ ही उन्होंने जयपुर जिला प्रशासन के नवाचारों की सराहना की और उन्हें राज्य स्तर पर अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल एवं जिला प्रभारी सचिव श्रेया गुहा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के पोस्टर, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण मार्गदर्शिका- 2025, फ्लैगशिप योजनाएं-2025 एवं जयपुर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक-2025 का विमोचन भी किया। इससे पहले प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर जिले की प्रभारी सचिव श्रेया गुहा की मौजूदगी में आयोजित समीक्षा बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों, बजट घोषणाओं एवं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की

- **प्रभारी मंत्री ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक**

समीक्षा की गई।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज वन विभाग, जल संसाधन एवं अन्य विभागों के 56.49 करोड़ की लागत के 1778 कार्यों का लोकार्पण एवं अवलोकन किया जावेगा। शहरी क्षेत्र में गलता जी तीर्थ, जग्गा की बावडी, खनिया की बावड़ी एवं अन्य महव्वपूर्ण स्थानों पर श्रमदान, पौधारोपण तथा साफ सफाई का आयोजन किया जावेगा। साथ ही, विभिन्न विभागों के करीब 99 करोड की कुल 1 हजार 949 कार्यों का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जायेगा। अभियान के तहत 1 हजार 500 राजस्व गांवो में पोधारोपण का कार्य भी किया जावेगा।

प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समस्त तैयारियां सुनिश्चित करने सहित बजट घोषणाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के निर्देश दिये।

बैठक में आयुक्त नगर निगम जयपुर रुकमणी रियार, आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज अरुण कुमार हसिजा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री संतोष मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) मुकेश कुमार मूंड, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दूदू) गोपाल परिहार सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत की।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन प्रकरणों की सुनवाई खण्डपीठ करेंगी

जयपुर, । राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए डिवीजन बैंच के सुपुर्द कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश करौली जिले के राजस्व गांव सिंघनिया और फरकपुर के निवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि दोनों राजस्व गांव वर्तमान में ग्राम पंचायत कंचनपुर में आते हैं। अब इन गांवों को ग्राम पंचायत कंचनपुर से अलग नई ग्राम पंचायत भोजपुर शामिल कर दिया गया है। दोनों राजस्व गांवों के लिए कोई सीधा रास्ता भी नहीं है और उनकी दूरी भी मुख्यालय से करीब बीस किलोमीटर है।

याचिका में कहा गया कि पंचायती राज विभाग की गत 13 फरवरी के

- **हाईकोर्ट न्यायाधीश ने जनसुनवाई में प्रकरण को खण्डपीठ में सुनवायी के योग्य माना**

परिपत्र के अनुसार नई पंचायत में शामिल होने वाले सभी स्थानों की सीमा मिलना जरूरी है। जबकि प्रकरण में इस परिपत्र की भी अवहेलना हुई है। तहसीलदार और एसडीओ ने कलेक्टर को भेजी अपनी रिपोर्ट में माना है कि नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत की अधिकांश भूमि वन विभाग के अधीन आती है। ऐसे में यहां जरूरी प्रशासनिक भवनों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाएगी। याचिका सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रकरण को खंडपीठ में सुनवाई योग्य मानकर उसे वहां भेज दिया।

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल का कारावास व दो लाख का जुर्माना

- **किशोरी के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई, बल्कि इसके चलते वह अवसाद में भी चली गई**

जयपुर, (कासं)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और विवाह के बाद उसके पति को मारने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने वाले अभियुक्त श्याम उर्फ साहब सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म कर न केवल उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई, बल्कि इसके चलते वह अवसाद में भी चली गई। अभियुक्त के इस गंभीर कृत्य को लेकर उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 19 जनवरी, 2022 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब पीड़िता स्कूल में पढ़ती थी तब स्कूल के रास्ते में ठेला लगाने वाला अभियुक्त उसके साथ छेड़खानी करता था। वहीं बाद में उसकी झूठी अफवाह फैलाने की धमकी देकर बात करने के लिए दबाव डाला। साल 2020 में वह निजी कॉलेज में काम करने लगी। इस दौरान एक दिन अभियुक्त ने उसके साथ उसे डरा धमका कर होटल में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर संबंध बनाए। जुलाई, 2021 में पीड़िता का विवाह होने के बाद भी अभियुक्त ने वीडियो वायरल करने और पति को मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने तंग आकर विरोध किया तो अभियुक्त ने उसके पति को उसके अश्लील वीडियो और फोटो भेज दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

एसीएस सावंत की चिट्ठी के 6 दिन बाद भी एक्सईएन कूकना को रिलीव नहीं कर रहा जेडीए प्रशासन!

- **ट्रांसफर हो चुके जलदाय इंजीनियर की मनमर्जी में खुला साथ दे रहे जेडीए और जलदाय विभाग के अफसर**
- **जबकि 15 जनवरी के ट्रांसफर आदेशों की पालना नहीं करने वाले अफसरों पर नाराजगी जता चुके हैं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी**
- **हैरानी की बात यह है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने गत 15 मई को संयुक्त शासन सचिव को आदेश दिए थे कि तत्काल दिनेश कूकना को जलदाय विभाग जॉइन कराया जाए, परंतु विभाग ने 15 दिन बाद भी पालना नहीं करवाई**

जयपुर। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत के आदेश और ट्रांसफर के 5 माह बाद भी अधिशासी अभियंता दिनेश कूकना जेडीए की कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनकी इस मनमर्जी में जलदाय विभाग और जेडीए के अफसर पूरा साथ दे रहे है। यह आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि गत 27 मई को अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने जयपुर विकास प्राधिकरण कमिश्नर आनंदी को पत्र लिखा और ट्रांसफर आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आग्रह किया था।

सावंत ने पत्र में लिखा कि, जेडीए में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए अधिशासी अभियंता दिनेश कूकना का तबादला 15 जनवरी को जलदाय विभाग ने अधिशाषी अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) जयपुर के पद पर किया था, लेकिन कूकना ने आज तक वहां पदभार नहीं संभाला है। ठीष्म ऋतु में पेयजल वितरण की सुचारू व्यवस्था के लिए विभागीय आवश्यकताओं के मध्य नजर दिनेश कूकना को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ठाहण किए जाने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावे।

ताज्जुब की बात यह है कि जलदाय महकमें के अतिरिक्त मुख्य सचिव के इस पत्र के 6 दिन बाद भी जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने दिनेश कूकना को रिलीव नहीं किया।

इससे पहले सावंत ने इस 15 मई को जलदाय विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रथम प्रवीण कुमार लेखरा को निर्देश दिए थे कि दिनेश कूकना को तुरंत जलदाय विभाग जॉइन कराया जाए। परंतु इस आदेश के 15 दिन बाद भी न तो दिनेश कूकना ने जेडीए की कुर्सी छोडी और ना ही जलदाय विभाग ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया।

उधर संयुक्त शासन सचिव प्रवीण कुमार लेखरा ने एसीएस के आदेश की पालना करवाने के बजाय इस मामले को इधर उधर टरकाकर लीपापोती की कोशिश की। उन्होंने मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा को पत्र लिखकर एसीएस के आदेश की पालना करवाने के लिए कहते हुए मामला टालने की कोशिश की, जिसके जवाब में अब संदीप शर्मा ने वापस लेखरा को पत्र लिख कर कहा है कि, यह कार्रवाई आपके स्तर पर होनी है, मेरे नहीं।

कुल मिलाकर जनवरी माह में हुए ट्रांसफर आदेश की 4 माह बाद भी पालना करवाने के बजाय जलदाय विभाग के अफसर एक्सएन दिनेश कूकना पर मेहरबानी बनाए हुए हैं। जबकि राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण ने भी कूकना को ट्रांसफर आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया था, इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जब उन्होंने स्टे याचिका लगाई तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए तुरंत ट्रांसफर आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए नव पदस्थापित स्थान पर ड्यूटी जॉइन करने के लिए कहा था। अदालत की इस फटकार के बाद कूकना की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि वे जल्द ही ट्रांसफर आदेश की पालना कर लेंगे, परंतु उन्होंने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी।

मजेदार बात यह है कि, इस पूरे प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के अफ़सर दिनेश कूकना को रिलीव करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। जबकि जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता संदीप शर्मा ने गत 29 अप्रैल को कूकना को पत्र लिखकर तत्काल जेडीए से स्वयं रिलीव होकर अधिशासी अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) के पद का कार्यभार संभालने के आदेश दिए थे। इस पत्र में कहा गया था कि अगर आपको जयपुर विकास प्राधिकरण रिलीव नहीं करता है तो आप स्वयं कार्यमुक्त होवे । इस नोटिस की प्रतिलिपि जेडीए कमिश्नर को भी भेजी गई थी।

संदीप शर्मा ने इसी प्रकार का अन्य एक नोटिस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत एक्सएन लखन सिंह मीणा को भी दिया था, जिसकी प्रति आवासन सचिव को भी दी गई थी । इस पत्र के बाद आवासन मंडल ने लखन सिंह मीणा को रिलीव कर दिया था । हालाँकि वहाँ भी अधिशासी अभियन्ता रामनिवास सिंघल और गीताराम मीणा भी कार्यरत हैं, जलदाय विभाग ने इन का भी तबादला 15 जनवरी के आदेश में किया था, परंतु वे ट्रिब्यूनल से स्टे आदेश ले आए।

इस पूरे प्रकरण में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मुख्य सचिव सुधांश पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत प्रतिनियुक्ति पर लगे इस इंजीनियर्स की हठधर्मिता और ट्रांसफ़र आदेशों की अवहेलना से काफ़ी नाराज है । संभावना है कि जल्द ही इन अफसरों पर निलंबन अथवा बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्लाट नम्बर 1, रोड नम्बर 5 एवं प्लाट नम्बर 21, रोड नम्बर 6 कच्ची बस्ती, बाईस गोदाम जयपुर तथा प्लाट नम्बर 99-बी पंचवटी कॉलोनी रजत जी का बन्धा, खातीपुरा जयपुर तथा नियाई जिला टोंक मे तीन दुकाने। उक्त वर्णित सम्पत्तियों स्व. श्री शब्बीर खॉ उर्फ बिट्टर खॉ पुत्र श्री अमीर खॉन के निजी अर्जित धन से खरीदी हुई है। अभी तक बँटवारा नही हुआ है। सम्पूर्ण प्लाट नम्बर 1 साढ़ीक अहमद एवं श्रीमती सना बैगम के वास्तविक कब्जे मे है। प्लाट नम्बर 21 मे श्रीमती तस्लीम बेगम और उनकी पुत्री श्रीमती शमशाद के पास केवल तीन कमरे एवं लेट्रीन बाथरूम कब्जे मे है, शेष सम्पूर्ण मकान नम्बर 21 श्रीमती सना बैगम और श्री साढ़ीक अहमद के कब्जे मे है। कोई व्यक्ति उक्त सम्पतियों या उसका कोई अंश नही खरीदे। दोनो प्लाट नम्बर 1 एवं 21 के कब्जे मे श्री साढ़ीक अहमद एवं श्रीमती सना बैगम के कब्जे मे बाधा उत्पन नही करे, ना ही उनके किरायेदारो को बेदखल करे। अन्यथा स्वयम् जिम्मेदार होगा।
जयपुर (फैजान हुसैन एडवोकेट)
दिनांक-04-6-25 मो.नं-8824515124

राजस्थान आवासन मण्डल वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
क्रमांक: 1699 **आम आहिर सूचना** दिनांक 02.06.2025
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 1374 दिनांक 22.07.2019 जारी कर आवास संख्या-8/L/143 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 67.500 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री राकेश कुमार बैरवा पुत्र श्री घासी लाल बैरवा के पक्ष में किया गया था। श्री राकेश कुमार बैरवा की मृत्यु दिनांक 20.02.2023 को जाने के कारण श्रीमती शीला पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार बैरवा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, स्वयं एवं गवाह के पहचान पत्र की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती शीला पत्नी स्व. श्री राकेश कुमार बैरवा के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही करदी जायेगी।
संपदा प्रबंधक,वृत्त तृतीय, राज. आ. मण्डल, जयपुर

खोया पाया

योजना रोहणी एन्क्लेव के भूखण्ड संख्या जी-625 का जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं साईट प्लान कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। रीना कुमारी मीना मो.8619835422

प्लाट संख्या पुराना सी-509 (नया सी 453) न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना 'सिद्धार्थ नगर-सी' जयपुर का समिति द्वारा मूल साईट कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। सुशीला मीणा 8118863293

मेरे भूखण्ड सं- सी-20 बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्र नगर का सोसाइटी से जारी मूल आवंटन-पत्र, साईट प्लान, रसीद जयपुर मे कही गुम हो गये है सूचित करेः राम बाबु गुप्ता मो. 9928318226

मेरे भूखण्ड सं-77 न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना धर्म पार्क जयपुर का सोसाइटी से जारी मूल आवंटन पत्र, साईट प्लान और रसीद जयपुर मे गुम हो गयी है सूचित करेः अमित पाबूवाल मो- 9799395000

मेरे प्लॉट ए-1 सुधासागर कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर के ओरिजिनल दस्तावेज सोसायटी द्वारा जारी सूरजपोल गेट ग्रह विकास सहकारी समिति का मूल आवंटन पत्र, रसीद, नक्शा जो कि सोसायटी ने आशुतोष ढींगरा पुत्र श्री गुलाबसिंह के नाम जारी किया था कलक्ट्री सर्कल के आसपास गिर गये मिलने पर सूचित करें 9664344007

आवास संख्या 42/34/3 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र गिर / गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। रितू खण्डेलवाल मो. 9414320727

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, एवं श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी कैलाश चन्द शर्मा, जाति जागिड़ ब्राहम्ण, निवासीयान- 395, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, महेश नगर, जयपुर राजस्थान के पुत्र लोकेश शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा निवासी- 395, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, महेश नगर, जयपुर मेरे अभिभाष्य के कहने सुनने मे नही है तथा वह आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है इसलिए मेरे अभिभाष्यगण ने अपने उक्त पुत्र को अपनी समस्त चल व अचल संपत्तियो से बेदखल करते है यदि कोई व्यक्ति या संस्था मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र से किसी प्रकार संव्यवहार लेन देन इत्यादि करता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वंय की होगी, सूचित रहे।
जयपुर (रमेश कुमार शर्मा) एडवोकेट
दिनांक: 4/6/25 मो.-8385894101, 6378890839

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य बदरे आलम पुत्र साजीद, उम्र-44 वर्ष, निवासी-555, कठपुतली कॉलोनी, भवानी सिंह रोड, सेक्टरनेट, राजस्थान-302005 आधार नंबर- 5776 9022 3376 घोषणा करता है कि मेरे अभिभाष्य की पुत्री खुशी फिरोजा, उम्र 22 वर्ष, आधार नंबर-7863 6188 6295 मेरे अभिभाष्य के साथ निवास नही करती है तथा वह बचपन से अपने दादा-दादी के साथ रही है, तथा वह मेरे अभिभाष्य के कहने मे नही है जिस कारण मेरा अभिभाष्य व उसका पुरा परिवार अपनी पुत्री खुशी फिरोजा, उम्र 22 वर्ष, से अपने समस्त संबंध समाप्त करते है साथ ही मेरा अभिभाष्य अपनी पुत्री खुशी फिरोजा, उम्र 22 वर्ष, को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियो से पूर्णतया बेदखल करता है। यह की मेरी पुत्री खुशी फिरोजा, उम्र-22 वर्ष, द्वारा कारित किसी भी कृत्य से मेरा अभिभाष्य व उसके परिवार का कोई सरोकार नही है तथा यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा खुशी फिरोजा, उम्र 22 वर्ष, से कोई संबंध रखा जाता है या लेन-देन किया जाता है तो उसके लिये वह स्वंय जिम्मेदार होगा।
दिनांक-4/6/25 (विनोद यादव) एडवोकेट, मो.9829570668

Debts Recovery Tribunal, Jaipur
First floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road Jaipur
RC/ 437/2021 Next Date: 12/06/25
DEMAND NOTICE
Notice under Section 25 to 28 of the recovery of debts & BankRuptcy Act 1993 and Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act, 1961,
State Bank of India V/S M/S Shivansh Enterprises
To,(1) **M/S SHIVANSH ENTERPRISES** P.NO. 3, Opposite Naya Mata Mandir, Delhi Byepass Road Jaipur(Raj.) Through its Proprietor Smt. Anita Gupta W/o Shri Dinesh Kumar Gupta (CD2) **Smt. Anita Gupta W/o Shri Dinesh Kumar Gupta** R/O 167, Govind Nagar East Amer Road Jaipur (Raj.) This is to notify that as per Recovery certificate issued in pursuance of orders passed by the presiding Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur O.A. 1153/2019 an amount of **Rs. 22,40,947/- (Rupees Twenty Two Lakh Forty Thousand Nine Hundred Forty Seven only)** and interest thereon as per Recovery Certificate is due against you. 1. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of Receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institution Act 1993 as per rules there under. 2. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing. 3. You are, hereby ordered to appear before undersigned on **12/06/2025 at 10:30 A.M.**for further proceedings 4. In additions to the sum afore said you will be liable to pay" (a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate/execution proceedings. (b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and Warrants and other processes that may be taken for recovering the amount due. Given under my hand and the seal of the Tribunal on this date 15.04.2025
Seal Recovery Officer Debts Recovery Tribunal Jaipur

नाम परिवर्तन

मैं धनश्री पत्नी आर्मी नं- 17004042H रैंक-NK कदम अजितराव यशवंत निवासी- डोंगरवाडी, तालुका- मिरज, जिल्हा- सांगली, महाराष्ट्र ने अपना नाम धनश्री से बदलकर धनश्री अजितराव कदम कर लिया है शपथ पत्र संख्या 021391 दिनांक 10 जनवरी 2025

मैंने अपना नाम गिरधारी सिंह (Girdhari Singh) से बदलकर गिरधारी सिंह रत्नू (Girdhari Singh Ratnu) रख लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। निवासी- प्लॉट नं.19 जगदम्बा नगर, कालवाड़ रोड जयपुर- 302012

मैं अनीता सोनी धर्मपत्नी सोनू कुमार सोनी प्लाट नंबर 5A बाबा कॉलोनी गोनेर रोड जयपुर ने भविष्य के लिए अपने पुत्र के विद्यालय रिकॉर्ड एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अनीता सोनी से बदलकर पूर्णिमा सोनी कर दिया है दोनों ही नाम मेरे है भविष्य में मुझे पूर्णिमा सोनी इसी नाम से जाना जाए

I VINOD AGARWAL S/O: MOOL CHAND AGARWAL R/o. Address: B-9, Ganganagar Niwas, Govind marg, Adharsh Nagar, Janta colony, Jaipur, Rajasthan - 302004 has changed my Name from VINOD AGARWAL to VINOD KUMAR AGARWAL for all future purposes.

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
क्रमांक: F-52/DC/KPZ/2025/358 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक: 04.06.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सत्य प्रकाश गर्ग, ब्रह्म प्रकाश गर्ग, ज्ञान प्रकाश गर्ग ने जोन कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर मकान नं. 385, राधा दामोदर की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर का 69-क, के तहत आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं का क्षेत्रफल 454.48 वर्गगज का पट्टा व भवन निर्माण स्वीकृति चाही है। उक्त मकान के संबंध में किसी व्यक्ति सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य किसी की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करे। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री भंवरी मल शर्मा व श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा पत्नि श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, निवासीगण-69/123, वी.टी. रोड, मानसरोवर, जयपुर के पुत्र ललित कुमार शर्मा व उनकी पत्नि नेहा तिवाडी एवं अनुराग शर्मा व उसकी पत्नि प्रिया तिवाडी जो कि विवाह के पश्चात से मेरे अभिभाष्यगण के कहने सुनने में नहीं है तथा पिछले एक वर्ष से अपने परिवार के साथ मेरे अभिभाष्यगण का घर छोड़ कर चले गये है उनसे अब मेरे अभिभाष्यगण का भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही रहेगा तथा मेरे अभिभाष्यगण उन्हें अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करते है तथा मेरे अभिभाष्यगण के पुत्र ललित कुमार शर्मा व उनकी पत्नि नेहा तिवाडी एवं अनुराग शर्मा व उसकी पत्नि प्रिया तिवाडी एवं उनके परिवार द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के लिये मेरे अभिभाष्यगण जिम्मेदार नही होगे। अतः सूचित रहे।
जयपुर (प्रकाश शर्मा) एडवोकेट, मो-9828111698

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के नियम-1 और 5)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 18, जयपुर महानगर-प्रथम, सांगानेर,
मोतीलाल व अन्य विरुद्ध नेमीचंद व अन्य
वाद बाबतः विशिष्ठ अनुपालना, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या : 242/2025
बनाम (1) प्रकाश चन्द पुत्र स्व. श्री नाथूलाल कुमावत, (2) श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व. श्री नवरतन कुमावत (3) यानू पुत्री स्व. श्री नवरतन कुमावत, (4) नीलू पुत्र स्व. श्री नवरतन कुमावत, समस्त निवासियान सिरोहियों की ढाणी, ढाणी कुमावतान, मुहाना मोड़ के पास, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त (5) श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री स्व. श्री नाथूलाल कुमावत पत्नी श्री कजोड़मल देवतवाल निवासी मिस्त्री नगर, नीम चौकी, सवाईमाधोपुर, राजस्थान प्रान्त
वादीगण, ने आपके विरुद्ध विक्रय इकरारनामा कि अनुपालना, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीक 24.07.2025 को दिन में 10.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है, कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है, जो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है, कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।
मोहर अदालत
रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट-18
सांगानेर जयपुर महानगर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के नियम-1 और 5)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 18, जयपुर महानगर-प्रथम, सांगानेर,
मोतीलाल व अन्य विरुद्ध नेमीचंद व अन्य
वाद बाबतः विशिष्ठ अनुपालना, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद संख्या : 246/